NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(A Unit of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan, Jamshedpur)
AMHARA, BIHTA, PATNA - 801106 (BIHAR)
(Approved by AICTE, New Delhi And Dept. of Science & Technology, Govt. of Bihar)
Affiliated to : Aryabhatta Knowledge University, Patna & State Board of Technical Education, Bihar
Mobile No.: 7781020364, 7781020346, 9102403265, 7781020361
Email: info@nsit.in | www.nsit.in

Ref. NSIT/28/24 Date 27-02-2024

English translation of relevant points from the letter issued by The Science & technology Department, government of Bihar. Vide letter reference: 39/2004/1322 dated on 06-06-2017

6. Admission to all private technical institutions will be taken through a Combined Entrance Examination conducted by the Bihar Private Technical & Professional Institutions Association (BPTPIA) on merit cum choice basis.

9. The private technical institutions approved by the AllIndia Council for Technical Education (AICTE) will be independent to enforce the reservation policy given by the govt of bihar.

Enclosed

Letter from the Science & technology Department, Government of Bihar

(For ref.)

Director

NSIT, Bihta, Patna

Director
Netaji Subhas Institute of Technology
Amhara, Bihta, Patna, Bihar
PIN-801106

1262

प्रारूप
बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

विषय:- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेकनिक संस्थानों में प्रत्येक शाखा के स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर क्रमशः अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर / द्वितीय वर्ष में नामांकन के साथ–साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात शेष रिक्त सीटों पर पार्श्व–प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन एवं प्रथम वर्ष में 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के नामांकन के संबंध में।

1. अभियंत्रण पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर / द्वितीय वर्ष में पार्श्व (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन (Lateral Entry) के संबंध में अभातशिप द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों में स्वीकृत प्रत्येक शाखा में कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर / द्वितीय वर्ष में प्रवेश (Lateral Entry) लिये जाने का प्रावधान था। तदनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् के माध्यम से उक्त योजना के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाता रहा है।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमोदन पुस्तिका (2017-18) में की गई अनुशंसा के आलोक में कुल प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों तथा इसके अलावे केवल Diploma पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत के साथ–साथ प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात रिक्त सीटों पर भी प्रवेश (Lateral Entry) लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. अभातशिप की "शिक्षण शुल्क छुट" योजनान्तर्गत वैसे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 4.30 लाख से कम हो, का प्रवेश अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों में स्वीकृत प्रथम वर्ष में कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर लिये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

4. अभातशिप की उक्त अनुशंसायें राज्य सरकार के विचाराधीन थी। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

(a) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देश एवं शर्तों के अध्यधीन विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रत्येक शाखा के कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रत्येक शाखा के कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत के साथ–साथ अतिरिक्त प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात रिक्त सीटों पर पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से सीधे नामांकन एवं प्रथम वर्ष में 05 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों का नामांकन किया जाय।

(b) Diploma Course के तृतीय सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) में 12^{th} (Science) पास छात्र–छात्राओं को Semester I एवं II के Course के विषय (i) Engineering Drawing / Engineering Graphics (ii) Engineering Mechanics एवं (iii) Workshop Practice को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ पास करना आवश्यक होगा।

Director
Netaji Subhas Institute of Technology
Amhara, Bihta, Patna, Bihar
PIN-801106

1261.

(c) समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामांकन के संबंध में निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को प्रशासी विभाग आदेश निर्गत कर लागू कर सकेगा।

5. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक तकनीकी संस्थानों के सभी सीटों पर संस्थानों में विभाग द्वारा कर्णांकित सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा–सह–विकल्प के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

6. निजी तकनीकी संस्थानों में नामांकन Bihar Private Technical & Professional Institutions Association (BPTPIA) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा सह विकल्प के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

7. वैसे निजी अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थान जिन्होंने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नामांकन के लिए विकल्प दिये हों, उन्हें अपने संस्थान में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से मेधा सह विकल्प के आधार पर पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) में नामांकन लेना अनिवार्य होगा।

8. उक्त प्रवेश योजना पर सरकारी तकनीकी संस्थानों में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होगें।

9. उक्त प्रवेश योजना पर बिहार राज्य में अभातशिप से मान्यता प्राप्त निजी तकनीकी संस्थानों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू करने के लिए स्वतंत्र होगें।

10. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों / संस्थानों / संगठनों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
6.06.17
उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:– वि० प्रा० (ii) बं–39 / 2004 / 1322 / पटना, दिनांक– 06/06/2017

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.06.17
उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

Director
Netaji Subhas Institute of Technology
Amhara, Bihta, Patna, Bihar
PIN-801106